



81

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP35101591306705Y

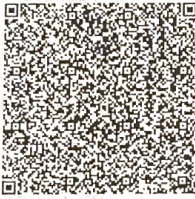
e-Stamp

1 4113/26



Certificate No. : IN-UP35101591306705Y
Certificate Issued Date : 27-Feb-2026 04:27 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0165248744117343Y
Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : VILL-GAHALWARA,GATA NO-390 ETC,TOTAL AREA-0.2302 HEC LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) :
First Party : DILSHAD
Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,51,220
(Four Lakh Fifty One Thousand Two Hundred And Twenty only)

12



Please write or type below this line



मि अं दिलशाद

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संचालक
लखनऊ

PF 0026415854

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



:: 1 ::

79



विक्रय विलेख पत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट — 70,00,000 /— (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000 /— (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य) — 64,45,600 /—
 4. मालियत रू० — 16,11,400 /—
 5. जनरल स्टाम्प — 4,51,220 /—
- स्टाम्प सं. डी **IN-UP35101591306705Y** व दिनांक **27-02-2026**

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार — (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला — गहलवारा,
8. परगना व तहसील — काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद — लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

- खसरा सं० 390 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०,
 खसरा सं० 565 का कुल रकबा 0.2000हे० में से विक्रीत रकबा 0.0055हे०,
 खसरा सं० 515 का कुल रकबा 0.4810हे० में से विक्रीत रकबा 0.0133हे०,
 खसरा सं० 123 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0047हे०,
 खसरा सं० 594/4 का कुल रकबा 0.1130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0141हे०,
 खसरा सं० 124 का कुल रकबा 0.2850हे० में से विक्रीत रकबा 0.0238हे०,
 खसरा सं० 185 का कुल रकबा 0.3540हे० में से विक्रीत रकबा 0.0295हे०,
 खसरा सं० 319 का कुल रकबा 0.3180हे० में से विक्रीत रकबा 0.0265हे०,
 खसरा सं० 367मि० का कुल रकबा 0.4430हे० में से विक्रीत रकबा 0.1107हे०,
 कुल रकबा 2.3080 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2302हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।
10. सड़क की स्थिति — किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
 11. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
 12. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है।



(Signature)
 ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
 सचिव तहसीलदार/सं० ०२०
 ल० वि० प्रा०

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

13. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) - नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या- 390

14. पूरब - गाटा संख्या - 388
15. पश्चिम - गाटा संख्या - 380
16. उत्तर - गाटा संख्या - 385
17. दक्षिण - गाटा संख्या - 391

18. विक्रेता का विवरण:-

श्री दिलशाद पुत्र मक्का, निवासी-गहलवारा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आधार नं० 2865 9145 3164 मो० नं० 9208318957 पैन नं० EVRPD0793P

19. क्रेता का विवरण:-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत- वरुण विहार आवासीय योजना

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

गोमती नगर, लखनऊ

द्वारा - श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला

पदनाम - सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार

विभाग - लखनऊ विकास प्राधिकरण

जनपद - लखनऊ मो० - 9540244993

पैन संख्या - AAALL0016F

20. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 0.2302 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिल-खारिज सहित पूरे होषो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना दवाव नाजायज किसी षरख के, मय कुल हक व हकूक के विला छोडे किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिंग रुपये 64,45,600/- (रुपये चौसठ लाख पैतालिस हजार छः सौ मात्र) जिसके आधे मुबलिंग रुपये 32,22,800/- (रुपये बत्तीस लाख बाइस हजार आठ सौ मात्र) होते है, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल जर समन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता मजकूर का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संचोअ
ल०वि०प्रा०

बाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो वह बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए हैं अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रश्नगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

21. तफसील आराजी बयसुदा :-

भूमिधरी आराजी खसरा सं० 390 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 565 का कुल रकबा 0.2000हे० में से विक्रीत रकबा 0.0055हे०, खसरा सं० 515 का कुल रकबा 0.4810हे० में से विक्रीत रकबा 0.0133हे०, खसरा सं० 123 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0047हे०, खसरा सं० 594/4 का कुल रकबा 0.1130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0141हे०, खसरा सं० 124 का कुल रकबा 0.2850हे० में से विक्रीत रकबा 0.0238हे०, खसरा सं० 185 का कुल रकबा 0.3540हे० में से विक्रीत रकबा 0.0295हे०, खसरा सं० 319 का कुल रकबा 0.3180हे० में से विक्रीत रकबा 0.0265हे०, खसरा सं० 367मि० का कुल रकबा 0.4430हे० में से विक्रीत रकबा 0.1107हे०, कुल रकबा 2.3080 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2302हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-गहलवारा, परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

22. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रुपये 64,45,600/- (रुपये चौसठ लाख पैतालिस हजार छः सौ मात्र) विक्रेता श्री दिलशाद पुत्र मक्का उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट ICICI Bank शाखा अशोक मार्ग, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 538546 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०च०आ०
ल०वि०प्रा०

23

:: 4 ::

किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा—बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू—राजस्व की भांति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू—राजस्व की भांति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

23. स्थान— लखनऊ।

दिनांक— 10/2/2026



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संच०अ०
ल०वि०प्रा०



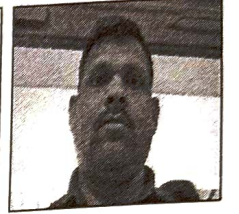
70

श्री देशराज लेख0,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

Comm



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रभारी

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

10/03/2026

ने की। प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

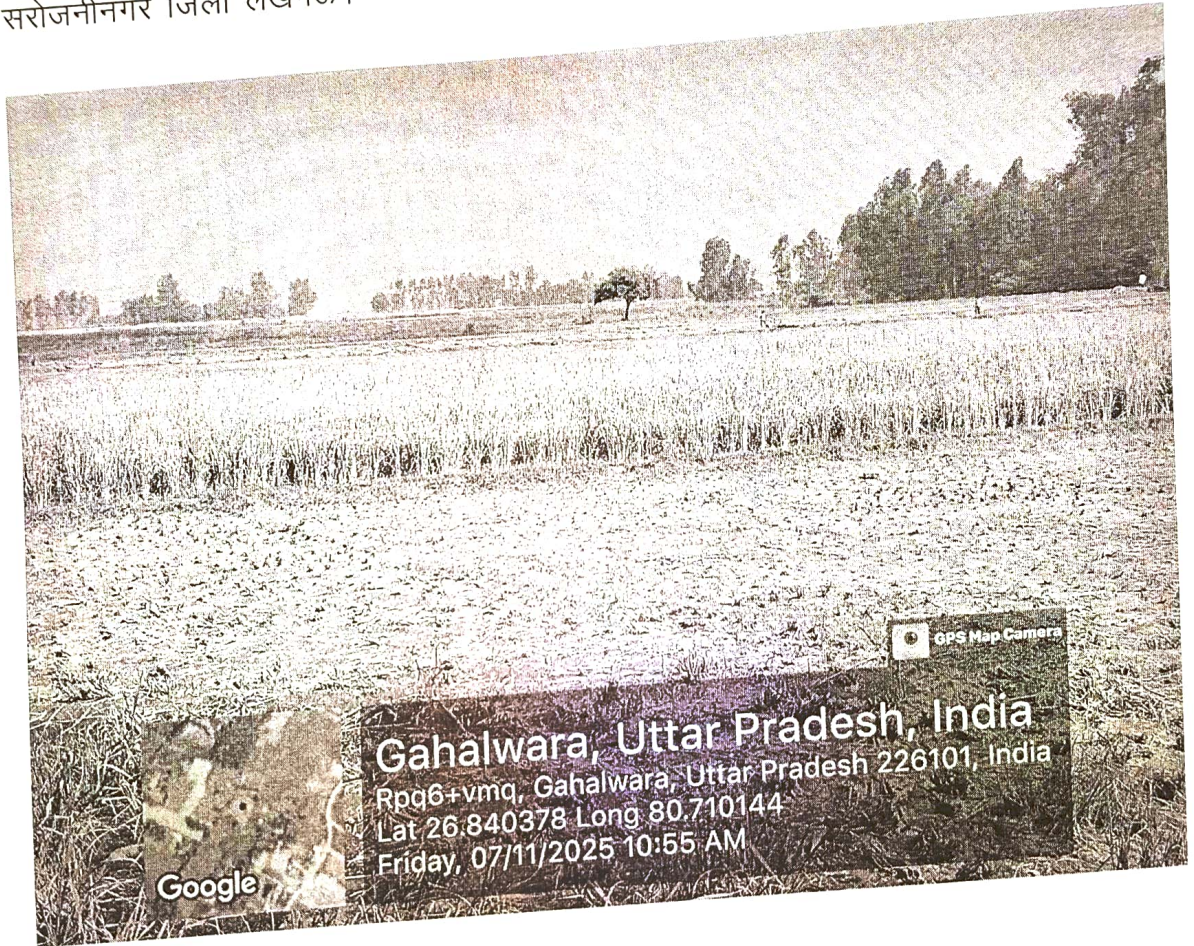
निबंधक लिपिक लखनऊ

10/03/2026



विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 390 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 565 का कुल रकबा 0.2000हे० में से विक्रीत रकबा 0.0055हे०, खसरा सं० 515 का कुल रकबा 0.4810हे० में से विक्रीत रकबा 0.0133हे०, खसरा सं० 123 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0047हे०, खसरा सं० 594/4 का कुल रकबा 0.1130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0141हे०, खसरा सं० 124 का कुल रकबा 0.2850हे० में से विक्रीत रकबा 0.0238हे०, खसरा सं० 185 का कुल रकबा 0.3540हे० में से विक्रीत रकबा 0.0295हे०, खसरा सं० 319 का कुल रकबा 0.3180हे० में से विक्रीत रकबा 0.0265हे०, खसरा सं० 367मि० का कुल रकबा 0.4430हे० में से विक्रीत रकबा 0.1107हे०, कुल रकबा 2.3080 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2302हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-गहलवारा, परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



विक्रेता के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संच०अ०
सरोजनीनगर

केता के हस्ताक्षर



60

आवेदन सं०: 202601041009782

वर्ष: 2026

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4113

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री दिलशाद,

DILSHAD

पुत्र श्री मक्का

निवासी: गहलवारा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 793P

क्रेता: 1

श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
(नायब तहसीलदार),LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY

....

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 016F



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

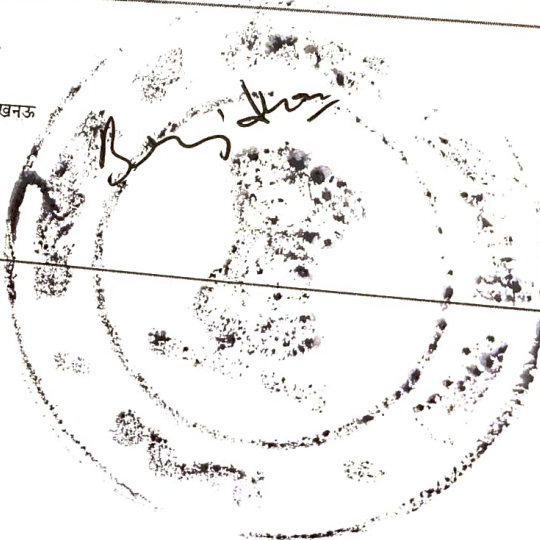
पहचानकर्ता : 1

श्री बृजभान सिंह लेख0,

निवासी: तह0 सरोजनी नगर लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

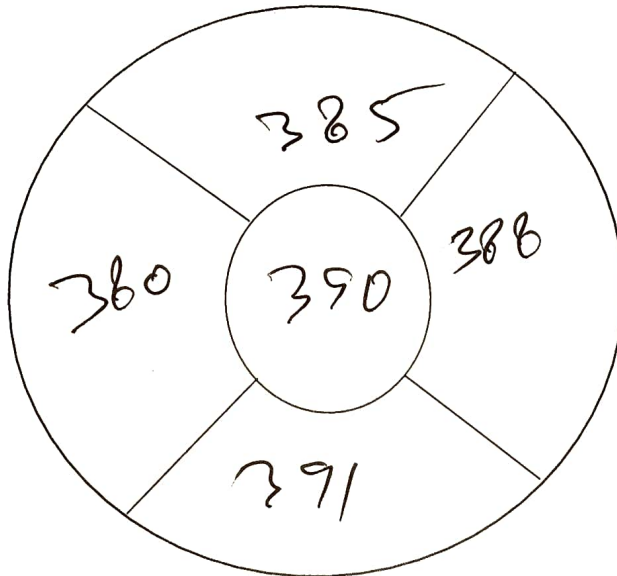


62

:: 7 ::

0 - 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 390 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 565 का कुल रकबा 0.2000हे० में से विक्रीत रकबा 0.0055हे०, खसरा सं० 515 का कुल रकबा 0.4810हे० में से विक्रीत रकबा 0.0133हे०, खसरा सं० 123 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0047हे०, खसरा सं० 594/4 का कुल रकबा 0.1130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0141हे०, खसरा सं० 124 का कुल रकबा 0.2850हे० में से विक्रीत रकबा 0.0238हे०, खसरा सं० 185 का कुल रकबा 0.3540हे० में से विक्रीत रकबा 0.0295हे०, खसरा सं० 319 का कुल रकबा 0.3180हे० में से विक्रीत रकबा 0.0265हे०, खसरा सं० 367मि० का कुल रकबा 0.4430हे० में से विक्रीत रकबा 0.1107हे०, कुल रकबा 2.3080 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2302हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-गहलवारा, परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०च०आ०
ल०वि०प्रा०



विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर



आवेदन सं०: 202601041009782

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15151 के पृष्ठ 41 से 60 तक क्रमांक 4113 पर दिनांक 10/03/2026 को
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रभारी

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

10/03/2026

